राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि / नरेगा / ग्रुप–3 / वेज / 2014 जयपुर, दिनांक 22 JUN 201

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस,
समस्त राजस्थान

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत मेट को दी जाने वाली मजदूरी दर में वृद्धि बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी दर में वृद्धि बाबत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.03.2015 के क्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अकुशल श्रमिकों को दि. 01.04.2015 से रूपये 173/– प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जा रही है। दिनांक 01.04.2015 से महात्मा गांधी नरेगा अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि के कारण मेट को दी जाने वाली वर्तमान दैनिक मजदूरी रूपये 174/– प्रतिदिन में भी वृद्धि की जानी अपेक्षित है।

अतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में दिनांक 01.04.2015 से कार्यरत मेट को रूपये 185/– प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया जावे। ध्यान रहे पूर्व में जिन मेटों को भुगतान कर दिया गया है, उन्हें किसी प्रकार का एरियर नहीं दिया जावेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(कैलाश चन्द मीना)
परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर एवं बाडमेर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त राजस्थान।
4. सलाहकार, (आई.ई.सी.) समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी कराने हेतु।
5. श्री रिंकु छीपा, एमआईएस मैनेजर को भेजकर लेख है कि nrega.raj.nic.in पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस